

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सभी से जिनका इससे संबंध हो, अनुशेष एवं अपेक्षा की जाती है कि वे भारत को बिना किसी रोक-टोक के स्वतंत्र रूप से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।


THESE ARE TO REQUEST AND REQUEST IN THE NAME OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE WHOM IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS FREELY WITHOUT LET OR HINDERANCE AND TO AFFORD HIM OR HER, EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE OR SHE MAY STAND IN NEED.

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से
BY ORDER OF THE PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDIA



(स.स.स. नि. श्रीमती N.L.P. Choudan)
भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से
पासपोर्ट अधिकारी
Passport Officer
पासपोर्ट कार्यालय
Passport Office
विशाखपट्टणम
VISAKHAPATNAM

पासपोर्ट
PASSPORT



सत्यमेव जयते

भारत गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA

विशिष्ट सेवा / MISCELLANEOUS SERVICE



पिता / कानूनी अभिभावक का नाम / Name of Father / Legal Guardian
VIJAYA VENKATA SEKHA KOPPALA

N2432760

माता का नाम / Name of Mother
SUSEELA KOPPALA

पति या पत्नी का नाम / Name of Spouse

पता / Address
12-1-4/2/3, MADHAVARAO NAIDU ROAD, KANNAYYAPETA

MAHARANIPETA, VISAKHAPATNAM URBAN

PIN: 530002, ANDHRA PRADESH, INDIA

पुराने पासपोर्ट का नं. और इसके जारी होने की तिथि एवं स्थान / Old Passport No. with Date and Place of Issue
J2324104 08/09/2010 VISAKHAPATNAM

फाइल नं. / File No.
VS1078741917115



घरती करण

दिशेनो मे रने बाने भारतीय नागरिको को सलाह दी जाती है कि वे निकटतम भारतीय मिशन/केन्द्र मे अपना घरोकाण करवाए ।

अंतरावनी

यह पासपोर्ट भारत सरकार को सम्पत्ति है । इस पासपोर्ट के बारे मे किसी पासपोर्ट अधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती है तिसमे पासपोर्ट लाने को माना श्री गणितन है तो उसका मुल अनुपलन किया जाए ।

यह पासपोर्ट डाक द्वारा किसी भी देश से भारत न भेजा जाए । यह पासपोर्ट भारत या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे मे ही होना चाहिए । इसमे किसी भी प्रकार का फेरबदल या विकृति नहीं की जानी चाहिए ।

पासपोर्ट गुप्त ही जाने, चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत मे सबसे निकटतम पासपोर्ट अधिकारी को अथवा यदि पासपोर्ट भारत विदेश मे है तो निकटतम भारतीय मिशन/केन्द्र और स्थानीय पुलिस को तत्काल दी जानी चाहिए । विस्तृत पूछताछ के बाद ही दुबलीकेड पासपोर्ट जारी किया जाएगा ।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORIZED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.

